तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6253/2023/कोटपूतली–बहरोड़ मातादीन बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-11-23	**एकलपीठ** **डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री शशिकांत जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी। **<u>निर्णय</u>** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 470/2020 बउनवानी मदनलाल बनाम मातादीन में पारित आदेश दिनांक 05–11–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पो. द्वारा एक वाद वादग्रस्त आराजी बाबत् मय अस्थाई निषेधाज्ञा का समक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। बाद एकपक्षीय बहस सुनवाई प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्थगन स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा–स्थिति के आदेश प्रदान कर दिये गये। जिससे अप्रसन्न से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस प्रार्थना पत्र के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–11–2020 न्याय नियम व रिकॉर्ड के विपरीत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–11–2020 स्थगन के बिन्दु से सम्बन्धित है जिसमें विगत 3 वर्षो से एकपक्षीय स्थगन आदेश का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है, जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.08.22 से अंतिम बहस में सूचीबद्ध है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सीपीसी के आदेश 39 नियम 3–क के प्रावधानों के की अवज्ञा है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6253/2023/कोटपूतली–बहरोड़ मातादीन बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेशों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पो. द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 05–11–2020 सुनवाई के दौरान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर वादग्रस्त आराजी बाबत् मौके व रिकॉर्ड की यथा–स्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये थे।

उक्त मत आदेश 39 नियम 3(क) से संबंधित है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> "3-A. Court to dispose of application for injunction within thirty days.-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thirty days from the date on which the injunction was granted; and **where it is unable so to do, it shall record its reasons for such inability**."

जबकि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3–ए के प्रावधानों अनुसार स्थगन आदेश को एक माह में अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है।

एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन आदेश आवश्यक रूप से स्पीकिंग और तर्कपूर्ण होना चाहिए, आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक चल सकता है। वह पक्ष जिसके विरुद्ध ऐसा एक पक्षीय आदेश दिया जा रहा है, उसकी सूचना अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा दी जानी चाहिए।

संहिता का आदेश 39, के नियम 3–ए के अनुसार ऐसे एक पक्षीय आदेश पारित करने के दिन से 30 के भीतर गुण–दोष के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन का कोर्ट को निपटान करने का दायित्व होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से यह अपेक्षित था कि वे प्रार्थी के अभिभाषक के उपस्थित होने की स्थिति में दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3–ए के प्रावधानों के अनुसार 30 दिन की अवधि में करते। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अस्पष्ट आदेश है। जिनमें प्रकरण के प्रमुख बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का किसी प्रकार का विवेचन व विश्लेषण नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी ग्रायता के स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, एवं राजस्व अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6253/2023/कोटपूतली–बहरोड़ मातादीन बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राधिकारी, जयपुर का आदेश दिनांक 5.11.2020 को अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उनके यहां लंबित प्रकरण संख्या 470/2020 में आदेश 39 नियम 3–क सीपीसी के नियमानुसार गुणावगुण पर एक माह में निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान दिनांक **28–11–23** को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	